न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-4, अलवर (राज०)
पीठासीन अधिकारी-अजीत कुड़ी, आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी नियमित अपील सं.27/2022, (सीआईएस सं.20/2017)
CNR-RJAL010008712017

1. बनवारी पुत्र सीताराम (मृतक)
   1/1. ग्यारसी देवी पत्नी स्व. श्री बनवारीलाल माली
   1/2. झाझूराम सैनी पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल माली
   1/3. बजरंग सैनी पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल माली
   1/4. प्रेम देवी पुत्री स्व. श्री बनवारीलाल माली
   1/5. बल्ली देवी पुत्री स्व. श्री बनवारीलाल माली
   1/6. लालाराम सैनी पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल माली (मृतक)
      1/6/1. विमला देवी पत्नी स्व. श्री लालाराम सैनी
      1/6/2. योगेश सैनी पुत्र स्व. श्री लालाराम सैनी
      1/6/3. कमलेश सैनी पुत्र स्व. श्री लालाराम सैनी
      1/6/4. उगन्ता सैनी पुत्री स्व. श्री लालाराम सैनी
   निवासीयान ग्राम नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर
   1/7. शंकर सैनी पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल माली (मृतक)
      1/7/1. लाली देवी पत्नी स्व. श्री शंकर सैनी
      1/7/2. मोहनलाल सैनी पुत्र स्व. श्री शंकर सैनी
      1/7/3. विरेन्द्र सैनी पुत्र स्व. श्री शंकर सैनी
      1/7/4. पूजा सैनी पुत्री स्व. श्री शंकर सैनी
   निवासीयान ग्राम नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर
2. मातादीन पुत्र श्री सीताराम, निवासी नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज०)
3. नग्गड पुत्र सीताराम (मृतक)
   3/1. धप्पो देवी पत्नी स्व. श्री नग्गड,
   3/2. मुकेश सैनी पुत्र स्व. श्री नग्गड,
   3/3. गिर्राज सैनी पुत्र स्व. श्री नग्गड,
   3/4. कौशल्या पत्नी श्री रामौतार पुत्री स्व. श्री नग्गड
   3/5. छोटी बाई पत्नी श्री नन्छूराम सैनी पुत्री स्व. श्री नग्गड
   3/6. लक्ष्मी उर्फ लिछमा पत्नी श्री सुरेश चन्द सैनी पुत्री स्व. श्री नग्गड

3/7. मन्नी देवी पत्नी श्री अमरसिंह पुत्री स्व. श्री नग्गड निवासीयान ग्राम नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज०)

.....अपीलांट

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र श्री सुक्खाराम (मृतक)
   1/1. शिम्भूदयाल पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल
   1/2. लाली पुत्री स्व. श्री बनवारीलाल
   1/3. श्याम सुन्दर सैनी पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल (मृतक)
      1/3/1. बिमला देवी पत्नी स्व.श्री श्याम सुन्दर सैनी
      1/3/2. हेमराज सैनी पुत्र स्व. श्री श्याम सुन्दर सैनी
      1/3/3. बलजी पुत्री स्व. श्री श्याम सुन्दर सैनी
      1/3/4. कमला पुत्री स्व. श्री श्याम सुन्दर सैनी
      निवासी नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज०)
2. ओमकार पुत्र श्री सुक्खाराम माली (मृतक)
   2/1. दडकी पत्नी स्व. ओमकार सैनी
   2/2. अशोक पुत्र स्व. ओमकार सैनी
   2/3. पूरण पुत्र स्व. ओमकार सैनी
   2/4. हनुमान पुत्र स्व. ओमकार सैनी
   2/5. मिश्रो पुत्री स्व. ओमकार सैनी
   2/6. लाली पुत्री स्व. ओमकार सैनी
   निवासीयान नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज०)
3. राजेन्द्र पुत्र श्री सुक्खाराम, निवासी नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज०)
4. मनोज पुत्र श्री मदनलाल, निवासी नारायणपुर, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज०)

.....**रेस्पोडेन्ट**

5. गैंदी पुत्री श्री मूला,
6. तोती पुत्री श्री मूला,
7. मल्ली पुत्री श्री मूला,
8. बलराम पुत्र श्री तोताराम,
9. लाली पुत्री श्री तोताराम,

10. कमला पुत्री श्री तोताराम,
11. सरती पुत्री श्री तोताराम,
निवासीयान नारायणपुर हाल निवासी हरसौरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राज०)

......तरतीबी रेस्पोडेंटस

"पीठासीन अधिकारी श्री मनीष हरजाई, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी, जिला अलवर द्वारा दीवानी वाद प्रकरण संख्या 34/73/2010, बअनुवान तोताराम बनाम बनवारीलाल, दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 30.01.2017 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दीवानी नियमित अपील।"

उपस्थिति-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत कुमार तिवाडी, अपीलांट/वादीगण की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्तागण श्री अशोक कुमार सैनी एवं श्री यर्थाथ गुप्ता, रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण की ओर से।

-निर्णय- **दिनांक 30 मार्च, 2026**

1. अपीलांट/वादीगण की ओर से यह अपील सर्वप्रथम माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर में प्रस्तुत की गयी। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के आदेश द्वारा हस्तगत अपील को विधिनुसार विचारण एवं निस्तारण हेतु न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-3, अलवर में अंतरित किया गया। तत्पश्चात यह अपील प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के आदेश दिनाँक 29.01.2022 के द्वारा इस न्यायालय में अंतरित किए जाने पर, यह अपील इस न्यायालय में दिनाँक 17.02.2022 को प्राप्त होकर दर्ज रजिस्टर की गयी।

2. अपीलांट/वादीगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी, जिला अलवर द्वारा दीवानी वाद प्रकरण संख्या 34/73/2010, बअनुवान तोताराम बनाम बनवारीलाल,

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 30.01.2017 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, जिससे संबंधित मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादीगण बनवारी वगैरा की ओर से रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण बनवारीलाल पुत्र सुक्खाराम वगैरा के विरूद्ध एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नारायणपुर, (बासबैरिसाल घाटा बांदरोल सडक) तहसील थानागाजी, जिला अलवर, राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती अबट जायदाद, दुकानात, गैलेरी, खाली प्लॉट स्थित चले आते है। जिसकी नपत एवं सीमाएं वाद पत्र के पैरा संख्या-2 में वर्णित है, जो संलग्न नजरी नक्शा बरंग सुर्ख से दर्शित की गई है, एवं इस मामले में विवादित है। यह जायदाद वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण व असल प्रतिवादीगण की शामलाती जायदाद है जो आराजी खसरा संख्या 2762 रकबा 0.18 हैक्टेअर गैर मुमकिन आबादी में स्थित चली आ रही है जिस आराजी में वदीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण असल का 1/3 हिस्सा चला आता है। जिस विवादित जायदाद के तरफ पश्चिम में वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती खर्चे पर निर्मित 9 दुकानें एवं दुकान के पीछे प्लॉट एवं दुकानों में आने जाने के लिए गैलरी छोडी गई है तथा पूर्व साईड में स्थित खाली प्लॉट स्थित है। जिस प्लॉट के चारो तरफ पुख्ता बाऊण्ड्री चार पांच फुट ऊंची शामलाती खर्चे पर बनाई गई है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल शामलाती रूप से काबिज है और उपयोग उपभोग करते आ रहे है। दुकानात में से कुछ दुकाने शामलाती में ही किराए पर दी गई है तथा कुछ दुकाने वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे मालिकाना में चली आती है जिनमें वादीगण अपने हिस्से की दुकान पर काबिज है और अपना कारोबार कर परिवार का पालन पोषण करते है । विवादित सालिम जायदाद अबट है। वादीगण के परिवार का सज़रा वादपत्र के पैरा संख्या 3 में कथित है। दुकानात का किराया भी शामलाती रूप से लेते आ रहे है। विवादित जायदाद अबट है। विवादित जायदाद में वादीगण का 2/3 हिस्सा मौके पर मौजूद है जिससे प्रतिवादीगण या अन्य किसी का कोई हक सम्बन्ध किसी प्रकार का

नहीं है। वादीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण ऊंची पहचान वाले व्यक्ति है और वादीगण से रंजिश रखते है। वे वादीगण के हिस्से की जायदाद पर जबरन लठठ के बल पर कब्जा करना चाहते है, उनके उपयोग उपभोग में बाधा डालते है और विवादित जायदाद पर निर्माण कर शक्ल मौका बदलना चाहते है और ग्राम पंचायत से अकेले ही अपने नाम पट्टा जारी कराने व दीगर लोगो को रहन बय, मुंतकिल कराने की फिराक में है। ऐसा कराने का प्रतिवादीगण को अधिकार नहीं| दिनांक 01.12.2010 को विवादित जायदाद के खाली प्लॉट पर जबरन लठठ के बल निर्माण करना चाहा व वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा डाली। ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादीगण, वादीगण से झगडा करने पर आमादा हो गए, बमुश्किल घटना टाली गई । उनके द्वारा स्पष्ट रूप से धमकी दी गई कि जायदाद में निर्माण करके रहेगें, शक्ल मौका बदल कर अपने नाम पटटा जारी करवा कर विवादित जायदाद अन्य लोगो को रहन, बय, मुंतकिल करके रहेंगे। जिससे दावा लाना आवश्यक हो गया। यदि प्रतिवादीगण असल ऐसा करने में कामयाब हो जाते हे तो वादीगण बर्बाद हो जोवेंगे, उनके हक हकूक जायल होगे, अपूर्णनीय क्षति होगी। वाद हेतुक दिनांक 01.12.2010 को पूर्वोक्त प्रकार से उत्पन्न हुआ है। मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने तथा समुचित न्यायशुल्क अदा होने के कथन किए गए है। अतः असल प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया गया कि वे वादीगण के 2/3 हिस्से के शामलाती खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 2762 रकबा 0.18 हैक्टेअर गैर मुमकिन आबादी में स्थित दुकान, गैलेरी, व खाली प्लॉट बनपत पूर्व पश्चिम 93 फफट, उत्तर दक्षिण 78 फुट मुन्दर्जे वाद पत्र नजरी नक्शा मेंबरंग सुर्ख, वाके ग्राम नारायणपुर, तहसील थानगाजी, जिला अलवर पर जबरन कब्जा ना करें, वादीगण को बेदखल ना करें, वादीगण के शामलाती उपभोग उपयोग करने में किसी प्रकार से रूकावट व बाधा ना डाले। जब तक जायदाद का बॅटवारा नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादीगण असल उक्त जायदाद में जबरन खाम/पुख्ता निर्माण कार्य ना करें, ना करावें, ग्राम पंचायत से पट्टा अकेले के नाम जारी ना करावे, अन्य लोगो को रहन, बय,

मुंतकिल ना करें, शक्ल मौका जायदाद ना बदले। खर्चा मुकदमा असल प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। साथ ही अन्य समुचित अनुतोष दिलाए जाने का निवेदन किया गया।

3. जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर से उक्त वादपत्र के खण्डनस्वरूपी जबाब दावा प्रस्तुत कर इस आशय का अभिकथन किया गया है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र के पैरा संख्या-1 में जिस नपत एवं सीमा की जमीन पर दुकानात, प्लॉट गैलेरी व खाली प्लॉट बताया है और शामलाती अबट जायदाद वादीगण की ना होकर 25 वर्ष पहले ही प्रतिवादी संख्या-2 ओमकार विवादित प्लॉट पर तन्हा काबिज है। प्रतिवादी संख्या-1 बनवारीलाल की दो दुकाने, उनके पीछे का हाल बना हुआ है और ओमकार प्रतिवादी की 3 दुकान व दुकानो के पीछे का हॉल बना हुआ है, दो दुकाने प्रतिवादी राजेन्द्र की एवं दो दुकान प्रतिवादी मनोज की मौके पर लगभग 25 वर्ष से बनी हुई है जिन दुकानो में से ओमकार प्रतिवादी ने अपने हिस्से की दुकानो में से एक दुकान में आटा चक्की, दूसरी दुकान में तेल निकालने का एक्सप्लेयर एवं तीसरी दुकान में बिजली के सामान का काम किया हुआ है तथा बाकी तीन भाईयों बनवारीलाल, राजेन्द्र एवं मनोज ने किराए पर दी हुई है। इस प्रकार इन दुकानो से गैलेरी, व खाली प्लॉट से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है, ना ही उनमें उनका हिस्सा है। 25 वर्ष से भी अधिक अवधि पहले पारिवारिक बॅटवारे के हिसाब से प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है एवं मालिक है। वादीगण ने दावे में नपत एवं सीमाएं गलत दर्ज की है। विवादित जायदाद खसरा संख्या 2762 रकबा 0.18 हैक्टेअर में नहीं बनी हुई है बल्कि इस खसरा नम्बर में विवादित प्लॉट बना हुआ स्थित है। दुकाने खसरा संख्या 2761, जिसका हाल खसरा संख्या 2518 रकबा 08 बिस्वा वादी संख्या-1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 के पिता मूला एवं वादी संख्या 2, 3, 4 के पिता सीताराम की मिलकियत खातेदारी की आराजी थी जिन्होंने उक्त सालिम आराजी को प्रतिवादीगण के बुजुर्ग सुक्खाराम, चिम्मन, चिरंजी व छुटटन को बहिस्सा बराबर बराबर कीमतन जरिए रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 08.09.1978 को बय कर दी थी और कब्जा खरीदारान को उसी समय दे

दिया। जिस पर वादीगण ने अपने हिस्से अनुसार दुकाने बना ली। इस प्रकार विवादित दुकानो की जगह से वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः दावा तथ्यों को छिपाते हुए पेश किया गया है। दुकानो के पीछे प्लॉट में एवं दुकानों में जाने की गैलेरी के पूर्वी साईड में स्थित प्लॉट के चारो तरफ बाऊण्ड्री चार पाँच फुट ऊंचाई की शामलाती खर्चे पर बनाई गई हो, यह बात बिल्कुल असत्य है । बाऊण्ड्री प्रतिवादी ओमकार ने अपनी मेहनत के पैसे से लगभग 15 वर्ष पूर्व बनाई थी। जिस पर 25 वर्ष से नल कनेक्शन लगा हुआ है। जिस पर अकेले प्रतिवादी ओमकार का मालिक की हैसियत से कब्जा है। जिस प्लॉट से भी वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। दुकाने शामलाती किराए पर नहीं दी हुई है बल्कि प्रतिवादी संख्या-1 बनवारीलाल ने अपनी दो दुकाने किशनलाल तथा प्रतिवादी संख्या-3 ने अपने हिस्से की दो दुकान लालाराम और मनोज ने अपनी दोनो दुकाने राजूसिंह ठाकर को किराए पर दी हुई है। प्रतिवादी संख्या-2 ओमकार ने अपने हिस्से की तीन दुकानो में से एक दुकान में आटा चक्की, अन्य में तेल का एक्सप्लेयर एवं बिजली की दुकान कर रखी है जिन दुकानो पर स्वयं प्रतिवादी एवं उसके पुत्र व्यवसाय करते है। जिन दुकानो में प्रतिवादीगण के नाम से बिजली का कनेक्शन 15 वर्ष पूर्व लिया गया है। दावा झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया, जो खारिज किए जाने योग्य है। वादीगण उक्त समस्त जायदाद शामलाती बता कर प्रतिवादीगण असल की जायदाद को हडपना चाहते है जबकि वे विवादित स्थान पर काबिज नहीं है तो उन्हें बेदखल करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। विवादित प्लॉट का पट्टा ग्राम पंचायत से प्रतिवादी संख्या-2 के नाम सन् 2007 में ही बन चुका है, जो वादीगण की जानकारी में है तथा जिस पट्टे बाबत् उज्रदारी वादीगण द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में नहीं की गई है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-2 प्लॉट का तन्हा मालिक है। जिसमें निर्माण करने व उपभोग उपयोग करने का उसे अधिकार है। दिनांक 06.12.2010 को वादीगण एवं उनकी औरतो ने मौके पर आकर प्रतिवादी संख्या-2 के निर्माण को ढहा दिया और निर्माण का सामान जबरन उठा कर ले गए। जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या-2 के पुत्र हनुमान ने इनके विरूद्ध

पुलिस थाना नारायणपुर में एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मौका देख कर नक्शा मौका बनाया तथा विवादित प्लॉट पर प्रतिवादी संख्या-2 ओमकार का कब्जा माना तथा निर्माण सामग्री आदि प्रतिवादी संख्या-2 की मानी। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या-2 के विरूद्ध भी प्लॉट पर निर्माण करने के लिए ग्राम पंचायत में कार्यवाही की थी, जिसमें मौके पर प्रसार अधिकारी ने विवादित प्लॉट पर प्रतिवादी संख्या-2 का कब्जा माना और किए जा रहे निर्माण को सही माना। जिससे प्रतिवादी संख्या-2 की मिलकियत एवं कब्जा साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच विवादित प्लॉट की बाबत् आपसी राजीनामा दिनांक 29.10.2010 को तहरीर तकमील किया था, जिस पर भी प्रतिवादी ओमकार के कब्जे एवं मालिकाना का विवादित प्लॉट माना गया। परन्तु अब वादीगण के मन में बेईमानी आ गई है। यह दावा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से पाबंद कराए जाने के अधिकार वादीगण को नहीं है। बिनायदावी एवं बिनायमुखासमत पैदा होती है। दावे की औपचारिकता पूरी करने के लिए झुंठ तारीख अंकित की गई है। दावा मियाद बाहर पेश किया गया है। अतः प्रार्थना की गई कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे। अंत में दावा अपीलांट/वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. जबकि प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से पृथक से कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण असल सभी का प्रतिनिधित्व एक ही अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

5. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए-

(1) आया वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा संख्या-1 में वर्णित नाप एवं सीमा व संलग्न नजरी नक्शा में रंग सुर्ख से दर्शित विवादित जायदाद से प्रतिवादीगण, वादीगण को जबरन बेदखल ना करें व उसकी शक्ल तब्दील ना करें, किसी अन्य को किसी प्रकार से हस्तान्तरित ना करें ?

...वादी

(2) आया वादीगण को बिनायदावी व बिनाय मुखासमत पैदा नहीं होती है? ...प्रतिवादीगण

(3) आया वादीगण का वाद मियाद बाहर है? ...प्रतिवादीगण

(4) अनुतोष ।

6. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 नग्गड, पी.ड.2 भागीरथ, पी.ड.3 सुगन चंद, पी.ड.4 तोताराम को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श-1, आबादी भूमि पट्टा प्रदर्श-2, प्रस्ताव संख्या 05.06.2007 प्रदर्श-3, पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 18.04.2007 प्रदर्श-4, मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 जो प्रदर्श-5, मिला क्षेत्रफल सन 2061 प्रदर्श-6, दखिल खारिज रजिस्टर की नकल प्रदर्श-7, जमाबंदी संवत् 2016 प्रदर्श-8, जमाबंदी प्रदर्श-9 संवत 2012-2015, जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 प्रदर्श-10 को प्रदर्शित कराया गया। जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेंट/प्रतिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.ड.1 ओमकार, डी.ड.2 विजय बराला, डी.ड.3 फूलचंद, डी.ड.4 तीजादेवी को परीक्षित कराया है। दस्तावेजी साक्ष्य में बिजली का बिल प्रदर्श डी-1 एवं डी-2, पंचायत का पटटा सं0-37 प्रदर्श डी-3, पंचायत की कार्यवाही वास्ते पट्टा देने प्रदर्श डी-4, प्रमाण पत्र पटवारी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-5, बयनामा दिनांक 08.09.1978 प्रदर्श डी-6, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श डी-9, जमाबंदी संवत 2060 प्रदर्श डी-10, नोटिस कमिश्नर प्रदर्श डी-11, नक्शा मौका विवादित स्थल कमिश्नर प्रदर्श डी-12, खुलासा रिपोर्ट प्रदर्श डी-13 प्रदर्शित कराए गए है।

7. विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनकर दिनाँक 30.01.2017 को निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया, जिस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण की ओर से हस्तगत अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

8. बहस अपील उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/वादीगण के द्वारा अपील मीमो में वर्णित किए गए कथनों को

दौराने बहस दोहराते हुए यह कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं विधि के विपरीत निर्णय पारित किया गया है। उनका यह भी कथन रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौका कमिश्नर की मौका रिपोर्ट पर सही तौर पर गौर नहीं किया गया। जिससे भी आलौच्य निर्णय पारित किए जाने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल कारित हुई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि वादीगण की ओर से अपना मालिकाना हक साबित किए जाने हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाए गए थे। जिनमें नक्शा मौका, आबादी पटटा, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, प्रस्ताव, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी प्रतियां एवं दाखिल खारिज रजिस्टर की प्रति आदि समस्त आवश्यक दस्तावेज शामिल रहे है। परंतु विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी दस्तावेजात पर भी कोई गौर नहीं किया गया जो कि पूर्णतया अनुचित है। उनका यह भी कथन रहा है कि वादीगण ने तनकी संख्या 1 में वर्णित तथ्यों एवं बिंदुओ को अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से बखूबी रूप से साबित किया था। परंतु इसके बावजूद भी मौके पर वादीगण का कब्जा नहीं मानते हुए तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। उनका यह भी कथन रहा है कि वादीगण वाद वर्णित अनुतोष प्राप्त करने के बखूबी हकदार होते हुए भी वास्तविक तथ्यों एवं कानून से परे जाकर निर्णय पारित किया गया है। जो कि अपास्त किए जाने योग्य है। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित जायदाद पर बनी दुकानों को स्वयं द्वारा बनाया जाना बताया गया जबकि हल्का पटवारी की रिपोर्ट व दस्तावेजी साक्ष्य से यह बखूबी साबित हुआ था कि विवादित जायदाद वादीगण व प्रतिवादीगण की अबट जायदाद रही है। जिस पर सहमालिक द्वारा किसी प्रकार का कथित निर्माण कर लेने पर भी ऐसी संयुक्त जायदाद पर अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। साथ ही उनका यह भी कथन रहा है कि वादीगण का वाद खारिज होने के चलते प्रतिवादीगण लगातार मौके की स्थिति को परिवर्तित करते हुए बिना अधिकार के निर्माण कार्य करने पर उतारू है। जिस हेतु भी उनको पाबंद किया जाना जरूरी है। साथ ही उनके द्वारा हस्तगत अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन कर

विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनाँक 30.01.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलांट/वादीगण का वाद विरूद्ध रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिक्री किए जाने का निवेदन भी किया गया है। साथ ही उनके द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्नांकित न्याय दृष्टांत पेश किया गया है-

1. Civil Appeal No. 159/2025 (SLP Civil No. 686/25) Supreme Court of India, Krushna Chandra Behera & Ors Vs. Narayan Nayan & Ors

9. जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण ने उक्त तर्कों के खण्डनस्वरूपी कथन करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय व डिक्री विधिसम्मत तौर पर पारित किए जाने एवं उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने का कथन करते हुए दौराने बहस यह भी बताया है कि अपीलांट/वादीगण अपने पक्ष के विवाद्यक संख्या 1 को साबित करवा सकने में पूर्णतया असफल रहे हैं। उनका यह भी कथन रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध वास्तविक तथ्यों एवं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री का पूर्णतया सही तौर पर कानूनी विवेचन कर वादीगण का वाद खारिज किया गया है। जो कि बिल्कुल सही व पूर्ण विवेचन कर पारित किया गया है। उनका यह भी कथन रहा है कि विवाद्यक संख्या 1 इस मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवाद्यक रहा है। जिसे साबित करवाए जाने का भार वादी पक्ष पर अधिरोपित रहा है। परंतु वादी पक्ष द्वारा विवादित स्थल पर अपना कब्जा स्थापित हो रखा होने के तथ्यों को किसी भी प्रकार से साबित करवाए जा सकने में लेशमात्र तौर पर सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी थी। जिस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा खुलासा एवं विस्तृत विवेचन विधि अनुसार करते हुए यह विवाद्यक वादी पक्ष के विरूद्ध तय किया गया है। जो कि किसी भी प्रकार से पत्रावली पर उपलब्ध वास्तविक तथ्यों व साक्ष्य सामग्री से विपरीत या परे जाकर पारित किया गया निष्कर्ष नहीं रहा है। हस्तगत प्रकरण में मौका कमिश्नर गवाह डी.ड.2 विजय बराला से वादी पक्ष द्वारा की गई जिरह मे भी ऐसा कोई कथन किया जाना प्रकट नहीं आया है जिससे कि वाद मामला स्थापित होता हो।

उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रतिवादीगण की ओर से पेश होकर परीक्षित करवाए गए अन्य गवाहान से की गई जिरह से भी वादी पक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं ला सका है जिससे कि वादपत्र के तथ्यों का जरा भी समर्थन होता हो। उनका यह भी कथन रहा है कि वादी पक्ष की ओर से पेश हुए गवाह पी.ड.1 नग्गड राम, पी.ड.2 भागीरथ, पी.ड.3 सुगनचंद एवं पी.ड.4 तोताराम के द्वारा प्रदान की गई साक्ष्य से भी विवादित स्थल/दुकान, प्लॉट आदि पर प्रतिवादी पक्ष का कब्जा होना स्पष्ट हुआ है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अपीलांट पक्ष की ओर से पेश की गई यह अपील पूर्णतया निराधार है। उनके द्वारा यह अपील सारहीन व निराधार होना बताई जाकर मय खर्चा खारिज किए जाने एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2017 की पुष्टि किए जाने का निवेदन किया गया है।

10. सुना गया। प्रस्तुत किए गए तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार एवं मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं पारित किए गए आलौच्य निर्णय व डिक्री का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत किए गए न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। इस न्यायालय का विवाद्यकवार विवेचन एवं निष्कर्ष निम्नानुसार है-

विवाद्यक संख्या-1

11. इस विवाद्यक को साबित करवाये जाने का भार अपीलांट/वादीगण पक्ष पर अधिरोपित किया गया था तथा इसके माध्यम से अपीलांट/वादीगण पक्ष को यह तथ्य साबित करवाये जाने थे "क्या वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा संख्या-1 में वर्णित नाप एवं सीमा व संलग्न नजरी नक्शा में रंग सुर्ख से दर्शित विवादित जायदाद से प्रतिवादीगण, वादीगण को जबरन बेदखल ना करें व उसकी शक्ल तब्दील ना करें, किसी अन्य को किसी प्रकार से हस्तान्तरित ना करें ?" इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट आया है कि वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की

प्राप्ति हेतु पेश किया गया है। जिसमें आगामी अर्थात पश्चातवर्ती प्रक्रम पर किसी अन्य प्रकार का अनुतोष वादी पक्ष की ओर से प्राप्त किया जाना चाहा गया हो, ऐसी स्थिति अपीलांट/वादी पक्ष की ओर से प्रकट नहीं लाई गई है। साथ ही ऐसी किसी प्रकार की स्थिति अपीलांट पक्ष की तरफ से अपील कार्यवाही के दौरान भी परिवर्तित अनुतोष बाबत प्रकट नहीं लाई गई है, यद्यपि दौराने बहस अपीलांट पक्ष की तरफ से यह प्रकट किया गया है कि वाद मामला खारिज होने के पश्चात प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर लगातार निर्माण कार्य कर स्थिति में परिवर्तन किया गया है। परंतु जैसा कि प्रकट आया है कि अपीलांट/वादी पक्ष द्वारा इस बाबत किसी भी प्रकार से अनुतोष में परिवर्तित नवीन अनुतोष की प्राप्ति अपील न्यायालय से प्राप्त की जानी चाही जाना भी प्रकट नहीं लाया गया है। साथ ही यह स्थिति भी प्रकट हुई है कि वादी पक्ष 9 दुकानें, उनके पीछे स्थित प्लॉट, दुकानों में आने-जाने के संबंध में गैलेरी के अलावा पूर्वी दिशा में खाली प्लॉट को विवादित होना बतला कर अपना वाद मामला लेकर आया है। जिनमे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का दो तिहाई हिस्सा एवं असल प्रतिवादीगण का एक तिहाई हिस्सा होना बताया गया है। जिनके संबंध में पत्रावली से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में विवादित दुकानात के संबंध में खुलासा कथन नहीं करते हुए केवल यह कथन किए गए है कि दुकानात में से कुछ दुकानात शामलाती किराये पर दी हुई है एवं कुछ दुकान वादी व प्रतिवादीगण के मालिकाना कब्जे में चली आ रही है जिनमें वादीगण अपने हिस्से की दुकान पर काबिज होकर अपना कारोबार कर अपने परिवार का पालन पोषण करते है, इत्यादि। परंतु इसी संबंध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश किए गए जवाब वादपत्र में इन्हीं दुकानात के संबंध में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि नौ दुकानात में से प्रतिवादी संख्या 1 बनवारीलाल की 2 दुकान जिसमें पीछे हॉल बना हुआ है, ओमकार प्रतिवादी की 3 दुकान जिनमें दो दुकानों के पीछे हॉल बना है तथा 2 दुकान प्रतिवादी राजेन्द्र एवं 2 दुकान प्रतिवादी मनोज की मौके पर लगभग 25 साल से बनी हुई है। इस प्रकार, प्रतिवादी पक्ष द्वारा 9 दुकानात के संबंध में 3 दुकान ओमकार की होना व शेष बची 6 दुकानों में से

बनवारी, राजेन्द्र एवं मनोज प्रत्येक के पास 2 दुकान होना बताया गया है। जिनके संबंध में ही प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह भी बताया गया है कि ओमकार द्वारा अपने हिस्से की दुकानों में एक में आटा चक्की, एक दुकान में एक्सप्लेयर एवं एक दुकान में बिजली का काम होता है और शेष तीन भाइयों ने अपनी दुकानें किराये पर दे रखी है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी प्रकट आया है कि विवादित प्लॉट को प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं का होना बताया जाकर इसका पटटा ग्राम पंचायत से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम सन 2007 में बनने व वक्त निर्माण विवादित प्लॉट पर दिनांक 06.12.2010 को प्रतिवादी पक्ष का मौके पर कब्जा होना एवं वादी पक्ष द्वारा व्यवधान कारित करना इत्यादि कथन करते है। इस प्रकार, प्रथमतः प्रकरण पत्रावली से यह तथ्य प्रकट आया है कि वादी पक्ष की ओर से विवादित दुकानात इत्यादि के संबंध में किए गए कथन खुलासा एवं निश्चायक स्वरूप में होना नहीं पाए गए हैं। जबकि इसी संबंध में प्रतिवादी पक्ष की ओर से किए गए खण्डनात्मक कथन स्पष्ट व खुलासा प्रकृति के होना पाए गए है। जिनके संबंध में ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आलौच्य निर्णय में किए गए विवेचन के दौरान इस संबंध में प्रारंभिक स्तर पर किया गया विवेचन सही व सटीक होना प्रकट हुआ है।

12. विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में हस्तगत प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से पेश की गई साक्ष्य के क्रम में गवाह पी.ड.1 नग्गड की ओर से अपनी मुख्य परीक्षा की साक्ष्य में जरिए शपथ पत्र यह कथन किए गए हैं कि ग्राम नारायणपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती साझे कब्जे काश्त खातेदारी की हाल आराजी खसरा संख्या 2762 रकबा 0.18 हैक्टेर गैर मुमकिन आबादी स्थित चली आती है। जिसमें मुताबिक रिकॉर्ड वादीगण का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी का चला आता है। जिसमें शामलाती की अबट जायदाद दुकानात, गैलेरी, खाली प्लॉट स्थित चला आता है। जिसका विवरण शपथ पत्र में किया गया है। जिस अबट जायदाद में 9 दुकानात मौके पर बनी हुई है व दुकानो के पीछे प्लॉट एवं दुकानो में आने जाने के लिए गैलेरी छोडी हुई है तथा पूर्व साईड में प्लॉट शामलाती का स्थित है। जिस पर वादीगण एवं

प्रतिवादीगण शामलात में काबिज रह कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। गवाह आगे कथन करता है कि कुछ दुकानें शामलाती में ही किराए पर दी हुई है तथा कुछ दुकानों पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से की दुकान पर काबिज है। जिसमें वादीगण अपना कारोबार कर अपने परिवार का पालन पोषण करते है। प्रतिवादीगण उक्त अबट जायदाद के उपभोग उपयोग करने में बाधा डालते है, जबरन कब्जा कर बेदखल करना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। साथ ही प्रतिवादीगण को वाद पत्र के अनुतोष के अनुसरण में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने बाबत कथन किए गए हैं। इसी के साथ ही गवाह पी.ड.1 के द्वारा अपनी साक्ष्य में किए गए मौखिक कथनों के समर्थन बाबत पेश की गई दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श-1, आबादी भूमि का पटटा प्रदर्श-2, प्रस्ताव संख्या 05.06.2007 प्रदर्श-3, पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 18.04.2007 प्रदर्श-4, मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 प्रदर्श-5, मिलान क्षेत्रफल संवत 2061 प्रदर्श-6, रजिस्टर दखल खारिज प्रदर्श-7, जमाबंदी संवत 2016 प्रदर्श-8, जमाबंदी संवत् 2012-15 प्रदर्श 9 एवं जमाबंदी संवत् 2016-19 प्रदर्श-10 तक दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित कराए गए है। इस प्रकार, गवाह पी.ड.1 वादी नग्गड के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा की साक्ष्य प्रदान कर वादपत्र के तथ्यों एवं कथनों को समर्थन दिलाने का प्रयास किया गया है। उक्त गवाह ने प्रतिवादी पक्ष की ओर से की गई जिरह में यह कथन किए है कि जिन दुकान व प्लॉट का दावा किया गया है उनको बने लगभग 25 साल हो गए है। जिस समय वे सभी शामलाती रहते थे। गवाह आगे बताता है कि दावे में जो दुकान बताई है वह नौ दुकान बनी थी। उन नौ दुकानों को बनाने में 5-6 लाख का खर्चा हुआ था। उसके हिस्से में चिम्मन द्वारा 6 दुकान आयी थी। जिनमें तीन दुकान बनवारी व तीन दुकान इस गवाह की बनी होना बताता है। आगे कथन करता है कि जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है। गवाह आगे कथन करता है कि यह छह दुकानात उसने किराये पर दे रखी है। एक दुकान लीलाराम को किराये पर दे रखी है। उक्त गवाह नौ दुकानों में से छह दुकान अपने हिस्से में आना जिनमें से तीन दुकान बनवारी की व तीन दुकान अपनी होना कथन करता है। जबकि

इस गवाह ने इन दुकानों में से किसी का भी किरायानामा नहीं लिखाए जाने का कथन भी जिरह के दौरान किया है। इसी संबंध में यह स्थिति भी प्रकट आई है कि गवाह पी.ड.1 अपनी जिरह में यह कथन भी स्पष्टतः करता है कि इन नौ दुकानों में ओमकार तीन दुकान रखता है जिनमें एक दुकान में आटा चक्की, एक में एक्सप्लेयर व एक दुकान बिजली की है। ओमकार इन्हीं दुकानों पर 25 साल से काबिज है जो अपने हिस्से की दुकानों पर बैठा है। वादी पक्ष के हिस्से पर नहीं बैठा है। इसके साथ ही गवाह ने अपनी जिरह में इस बात को भी स्पष्टतः सही होना बताया है कि दो दुकान मनोज, दो दुकान बनवारी व दो दुकान राजेन्द्र की होकर किराये पर चल रही है। साथ ही यह गवाह बताता है कि उक्त दुकानों पर पहले ये ही दुकान करते थे। उपरोक्तानुसार यह तथ्य साफ तौर पर प्रकट आया है कि विवादित दुकानों के संबंध में वादीपक्ष दो तिहाई हिस्से का दावा लाया है। जबकि प्रतिवादी पक्ष नौ दुकानों में तीन दुकान ओमकार की व शेष छह दुकान बनवारी, राजेन्द्र व मनोज की दो-दो दुकानें होना विशिष्ट कथन कर आए है। जबकि वादी नग्गड के द्वारा ही उपरोक्त प्रदान की गई स्पष्ट साक्ष्य से प्रतिवादी पक्ष के जवाब दावे के कथनों व तथ्यों की स्वीकारोक्ति की जानी प्रकट आयी है। जिससे ऐसी स्थिति में गवाह नग्गड द्वारा प्रदान की गई साक्ष्य विवादित होना बताई गई दुकानात के संबंध में वादपत्र के तथ्यों की लेशमात्र तौर पर भी पुष्टि नहीं करते हुए प्रतिवादी पक्ष के जवाब दावे को पूर्ण पुष्ट करता है। इस प्रकार, गवाह पी.ड.1 नग्गड के द्वारा प्रदान की साक्ष्य के माध्यम से वादी पक्ष यह तथ्य स्पष्ट नहीं करवा सका है कि विवादित होना बताई गई नौ दुकानों में से किसी भी दुकान पर वादी पक्ष का कब्जा स्थित हो रखा हो। गवाह पी.ड.1 नग्गड के द्वारा वाद वर्णित खाली प्लॉट के संबंध में प्रदान की गई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो यह प्रकट आया है कि उक्त गवाह ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श-2 आबादी भूमि के पटटे की सत्यप्रति को पेश कर प्रदर्शित कराया है। जिसके संबंध में वादी पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष की गई बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया जाना प्रकट आया है कि यह पटटा गलत रूप से जारी करा लिया गया है परंतु इसे शून्य घोषित करने के संबंध में

विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के मध्य कोई विवाद विद्यमान नहीं होकर इस बाबत कोई विवाद्यक नहीं बना एवं न ही ऐसा कोई विवाद बिंदु विचारण न्यायालय द्वारा विनिश्चय किए जाने हेतु पाया गया एवं न ही इस बाबत कोई अनुतोष वादी पक्ष की ओर से चाहा गया। इसी प्रक्रम पर देखा जावे तो प्रदर्श-2 पटटे के संबंध में गवाह डी.ड.1 ओमकार के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रदान की गई साक्ष्य में उक्त वर्णित दस्तावेज को प्रदर्श डी-3 के रूप में पेश किया गया तथा जिरह के दौरान गवाह ओमकार यह कथन करता है कि इस पटटे की अपील प्रशासन एवं पंचायत समिति में चल रही है, जिसमें फैसला अभी होना बाकी है। इसी संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया गया यह विवेचन भलीभांति उचित पाया जाता है कि अपील लंबित रहने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित पटटा अस्तित्वहीन हो गया हो। साथ ही विवादित होना बताए गए प्लॉट के संबंध में गवाह पी.ड.1 नग्गडराम के द्वारा अपनी साक्ष्य में यह कथन भी किए गए है कि इस प्लॉट की नींव भरी, उस समय उसका बच्चा मर गया था। तत्पश्चात यह गवाह कथन करता है कि नींव भरी होने पर जब ओमकार ने काम चलाया तब झगडा हुआ। गवाह नग्गड द्वारा किए गए उक्त कथनों से भी विवादित प्लॉट पर प्रतिवादी ओमकार का कब्जा रहा होना दर्शित हुआ है। साथ ही गवाह नग्गड प्रतिवादी ओमकार के पास विवादित प्लॉट का पटटा होना भी स्वीकार करता है। गवाह आगे अपनी साक्ष्य में मौके पर पुलिस जाना, घटनास्थल का नक्शा मौका देखना कथन कर यह भी बताता है कि उस समय ओमकार ने पटटा दिया था। इस प्रकार, गवाह पी.ड.1 नग्गड द्वारा दी गई साक्ष्य के मुताबिक विवादित होना बताए गए प्लॉट पर भी वादी पक्ष का कब्जा नहीं हुआ होना प्रकट आया है। जिससे हस्तगत प्रकरण में अपीलांट/वादी पक्ष की तरफ से पेश कर परीक्षित करवाए गए गवाह पी.ड.1 नग्गड के द्वारा प्रदान की गई तमाम साक्ष्य के संबंध में किए गए उक्त विवेचन पश्चात यह प्रकट आया है कि अपीलांट/वादी पक्ष गवाह पी.ड.1 नग्गड की साक्ष्य के माध्यम से वाद मामले में किसी भी प्रकार से विशिष्ठ सहायता प्राप्त नहीं कर पाया है।

13. वादी पक्ष की ओर से पेश गवाह भागीरथ के द्वारा प्रदान की गई साक्ष्य में वादपत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत कथन करते हुए वादीगण का 1/3 हिस्सा दुकानात व प्लॉट में होना और प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा होना यह गवाह बताता है। गवाह पी.ड.2 अपनी जिरह में यह कथन भी स्पष्ट रूप से करता है कि ओमकार व उसके मुकदमा चल रहा है जिससे ओमकार व उसके संबंध अच्छे नहीं है। साथ ही यह गवाह जिरह में यह कथन करता है कि ओमकार तीन दुकानों पर काबिज है जिनमे से एक में आटा चक्की, एक में एक्सप्लेयर व तीसरी में बिजली की दुकान है। साथ ही बताता है कि नग्गड व तोता इस दुकान में कोई दुकान नहीं कर रहे है। उक्त दुकानों में एक में टेलर, एक में नाई और चार अन्य दुकान पर कौन बैठा है पता नहीं होना बताता है। इस प्रकार, गवाह पी.ड.2 भागीरथ के मुताबिक विवादित होना बताई गई नौ दुकानों में से तीन दुकान ओमकार के पास होना तथा शेष छह दुकानों में एक में टेलर, एक में नाई व चार दुकानों के बारे में पता नहीं होना यह गवाह बताता है। साथ ही यह गवाह नग्गड व तोताराम को उक्त दुकानों पर काम नहीं करते देखना और ना ही अब उनके पास नौ दुकानों में से कोई दुकान होना बताता है। इस प्रकार उक्त गवाह भागीरथ के द्वारा प्रदान की गई साक्ष्य के माध्यम से भी वादी पक्ष विवादित होना बताई गई दुकानात पर अपना कब्जा आधिपत्य होना साबित नहीं करवा सका है। इसके अतिरिक्त गवाह भागीरथ अपनी जिरह की साक्ष्य में यह कथन भी करता है कि प्लॉट की लंबाई चौडाई वह नहीं बता सकता है। प्लॉट का पटटा ओमकार के नाम बना हो, तो उसे पता नहीं। साथ ही यह बताता है कि उसे पता नहीं है कि पंचायत मौका देखने आई हो और प्लॉट ओमकार का माना हो। अपने शपथ पत्र में खसरा नंबर नहीं लिखवाए जाना कहता है। इस प्रकार, गवाह भागीरथ के द्वारा प्रदान की गई जिरह की साक्ष्य से उपरोक्त प्रकट आई स्थिति के मुताबिक वादी पक्ष के वादपत्र के तथ्यों का प्राथमिक तौर पर ही युक्तियुक्त समर्थन नहीं होना प्रकट आया है।

14. इसी क्रम में वादी पक्ष की ओर से पेश कर परीक्षित करवाए गए गवाह पी.ड.3 सुगनचंद के द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार अपनी

मुख्य परीक्षा की साक्ष्य जरिए शपथ पत्र प्रदान की गई है जो कि प्रतिवादी पक्ष की जिरह में यह कथन करता है कि ओमकार की जमीन पर झगडा हुआ था तब उसकी जमानत हुई थी। खसरा नंबर ध्यान नहीं होना कथन करता है। साथ ही बताता है कि ओमकार व तोताराम के बीच काम चलने पर प्लॉट पर झगडा हुआ था। इसी प्रकार, गवाह पी.ड.4 तोताराम अपनी जिरह में खसरा नंबर याद नही होना, किस खसरा नंबर का झगडा है उसे पता नहीं होना, पुराना खसरा नंबर याद नहीं होना, रकबा कितना है नहीं बता सकना, इत्यादि कथन अपनी जिरह में करता है। साथ ही यह भी बताता है कि विवादित दुकान में प्रतिवादीगण का दस साल से कब्जा कर रखा है। गवाह तोताराम के द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त आशय की साक्ष्य से यह तथ्य बखूबी स्पष्ट हुआ है कि विवादित होना बताई गई दुकानों पर प्रतिवादीगण काबिज हो रखे है ना कि वादीगण। हस्तगत प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से उक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य अपनी तरफ से लेखबद्ध नहीं करवायी गई है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से परीक्षित करवाए गए गवाह डी.ड.1 ओमकार के द्वारा जवाब वादपत्र के मुताबिक अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर प्रदर्श डी-1 लगा. प्रदर्श डी-13 तक दस्तावेजात पेश किए गए है। जिनमें से प्रदर्श डी-11 लगायत प्रदर्श डी-13 तक के दस्तावेजात गवाह डी.ड.2 विजय कुमार बराला मौका कमिश्नर की साक्ष्य के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश किए गए है। जबकि गवाह डी.ड.1 ओमकार की साक्ष्य के वक्त कुल 10 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाए गए है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा पेश किए गए उक्त वर्णित गवाह डी.ड.1 ओमकार से खुलासा तौर पर जिरह भी की गई है। जिसमें गवाह ने वादी पक्ष की ओर से जिरह के दौरान दिए गए सुझाव जो कि वादपत्र में वर्णित तथ्यों के क्रम में प्रदान किए गए, को गलत होना बताया है। इसके अतिरिक्त गवाह ओमकार ने अपनी जिरह में ऐसा कोई विशिष्ठ कथन या तथ्य प्रकट नहीं किया है जिससे कि वादपत्र में वर्णित तथ्यों की जरा भी पुष्टि होती हो। इसी प्रकार से गवाह डी.ड.3 फूलचंद से वादी पक्ष द्वारा की गई जिरह से भी ऐसा कोई विशिष्ट तथ्य उजागर नहीं हुआ है जिससे कि वादपत्र के तथ्यों का समर्थन होता हो। इसी

क्रम में गवाह डी.ड.4 तीजा देवी के द्वारा अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा की साक्ष्य में जरिए शपथ पत्र जवाब दावे के कथनों के समर्थन में कथन किए गए है। गवाह तीजा देवी से भी वादी पक्ष द्वारा जिरह की गई है। गवाह ने अपनी जिरह में कथन कर प्लॉट और दुकान का बंटवारा बीस साल पहले होने बाबत कथन किए है। गवाह ने इस बात को गलत होना बताया है कि प्लॉट की जमीन व दुकान की जमीन में वादीगण का हिस्सा हो। इस प्रकार, गवाह डी.ड.4 तीजा देवी के द्वारा भी ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जिससे कि वादपत्र के तथ्यों का किंचित तौर पर भी समर्थन होता हो। प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश की गई साक्ष्य में गवाह डी.ड.2 विजय बराला अधिवक्ता मौका कमिश्नर के रूप में बतौर साक्षी परीक्षित हुआ है। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा की साक्ष्य में दिनांक 07.12.2010 को विवादित स्थल का मौका निरीक्षण अदालत के आदेश से पक्षकारान की मौजूदगी में किया जाकर मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा बनाया जाना जो कि नोटिस प्रदर्श डी-11 नक्शा विवादित स्थल प्रदर्श डी-12 एवं मौका रिपोर्ट प्रदर्श डी-13 होना जिस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना यह गवाह कथन करता है। मौका कमिश्नर अधिवक्ता साक्षी विजय बराला से वादी पक्ष द्वारा की गई जिरह में भी ऐसा कोई कथन या तथ्य वादी पक्ष प्रकट नहीं ला सका है कि जिससे कि वादपत्र के तथ्यों का समर्थन होता हो। हस्तगत प्रकरण में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात में प्रदर्श-1 लगा. 10 तक जमाबंदी, दाखिल खारिज रजिस्टर नकल, इत्यादि दस्तावेजात पेश किए गए है। जिनके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा यह विवेचन किया गया है कि उक्त दस्तावेजात में कथित भूमि का रकबा एवं अन्य विशिष्टियां इस रूप में स्थापित एवं अंर्तसंबंधित नहीं है जो कि विशिष्ट तौर पर उक्त वर्णित दस्तावेजात में कथित भूमि को ही विवादित प्लॉट एवं दुकानात की भूमि के रूप में होना प्रकट करते हो। जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया पटटा प्रदर्श डी-3 इसी संबंध में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य पेश हुआ है जिसे वादी पक्ष की ओर से प्रदर्श-2 के रूप में पेश किया गया है। चूंकि यह वाद मामला वादी पक्ष की ओर से स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में पेश किया जाकर विवादित होना बताई गई संपति पर कब्जे का बिंदु सर्वाधिक

महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है, जिसके संबंध में उपरोक्त समस्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि वादी पक्ष विवादित होना बताई गई नौ दुकानों में से किसी भी दुकान पर अपना कब्जा होना साबित नहीं करवा सका है। साथ ही विवादित प्लॉट पर भी अपना कब्जा स्थित हो रखा होना साबित करवा सकने में वादी पक्ष असफल रहा है। जिससे अपीलांट/वादी पक्ष विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा का वांछित अनुतोष प्राप्त करने का हकदार होना भी नहीं पाया जाता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण की तरफ से प्रस्तुत करवाए गए न्याय दृष्टांत में पारित निर्णय विधि एवं प्रतिपादित सिद्धांत से यह न्यायालय यद्यपि सादर सहमत है परंतु हस्तगत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियां प्रस्तुत न्याय दृष्टांत में वर्णित तथ्यों व परिस्थितियों से भिन्न होने से मेरे विनम्र मत में अपीलांट/वादी पक्ष इस माध्यम से भी कोई विशिष्ठ सहायता प्राप्त नहीं करता है। इसी के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया गया संपूर्ण विवेचन पूरी तरह से पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य सामग्री के संबंध में किए गए समुचित विवेचन पर आधारित होकर तदुपरांत यह निष्कर्ष पारित किया गया कि विवाद्यक संख्या 1 वादी पक्ष के विरूद्ध निस्तारित किया जाता है। जो कि उक्त पारित किया गया निष्कर्ष भी पूर्णरूपेण उचित एवं विधिसम्मत तौर पर पारित किया गया निष्कर्ष होना प्रकट आया है। जिसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश या संभावना विद्यमान होना प्रकट नहीं हुई है। अतः विवाद्यक संख्या-1 अपीलांट/वादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या - 2

15. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण पर अधिरोपित किया गया है। विवाद्यक संख्या-2 के माध्यम से प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण पक्ष को यह तथ्य साबित करवाए जाने हेतु रहे हैं "क्या, वादीगण को बिनायदावी व बिनाय मुखासमत पैदा नहीं होती है?" इस संबंध में यह विवेचन महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी पक्ष को यह साबित करवाना था कि वादीगण को बिनायदावी व बिनाय मुखासमत पैदा नहीं होती है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा यह मत अभिव्यक्त किया

गया है कि इस विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने जवाब दावे में अभिवचन मात्र किए गए है। जिनके समर्थन में प्रतिवादी पक्ष की ओर से विनिर्दिष्ट रूप से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में प्रतिवादी पक्ष इस विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। जिससे विचारण न्यायालय विवाद्यक संख्या-2 को प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः विवाद्यक संख्या-2 को प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या-3

16. इस विवाद्यक को साबित करवाने का भार प्रत्यर्थी/प्रतिवादी पक्ष पर रहा है, विवाद्यक संख्या-3 के माध्यम से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी पक्ष को यह तथ्य साबित करवाए जाने हेतु रहे हैं कि "क्या वादीगण का वाद मियाद बाहर है?" इस संबंध में भी विचारण न्यायालय द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि इस विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने जवाब दावे में अभिवचन मात्र किए गए है। जिनके समर्थन में भी प्रतिवादी पक्ष की ओर से विनिर्दिष्ट रूप से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसे में प्रतिवादी पक्ष इस विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। जिससे विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या-3 को प्रत्यर्थीगण/ प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः विवाद्यक संख्या-3 को प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णीत किया जाता है।

अनुतोष-

17. उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार हस्तगत प्रकरण के महत्वपूर्ण विवाद्यक संख्या-1 को अपीलांट/वादी अपने पक्ष में साबित करवा सकने में पूर्णतया असफल रहा होने से विवाद्यक संख्या-1 को अपीलांट/वादी के विरूद्ध तय कर निर्णीत किया गया है जिससे अपीलांट/ वादी की ओर से प्रस्तुत की गयी यह अपील पूर्णतया सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज किए जाने योग्य एवं विद्वान विचारण

न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनाँक 30.01.2017 पुष्ट किए जाने योग्य पाया जाता है।

- आदेश -

18. परिणामतः अपीलांट/वादीगण बनवारी पुत्र सीताराम वगैरा की अपील एततद्वारा अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट थानागाजी, जिला अलवर द्वारा दीवानी वाद प्रकरण संख्या 34/73/2010, बअनुवान तोताराम बनाम बनवारीलाल, दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 30.01.2017 को पारित निर्णय व डिक्री की उक्तानुसार पुष्टि की जाती है। खर्चा अपील पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावे।

(अजीत कुड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-4,
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनाँक **30.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(अजीत कुड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-4,
अलवर (राज०)